

Serial No & Date of issue :- -----



कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी (म.प्र.)

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-अटारी जोन-9, जबलपुर

Envelope "B"



Website : kvkshivpuri.org

Email-kvk.shivpuri@rvskvv.net



किराये पर वाहन सप्लाय हेतु निविदा

पृष्ठ क्रं. 01 से 11 तक

निविदा मूल्य रु. 100/-
(नॉन रिफण्डेबल)

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. कार्य का नाम :-

निविदा का कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों एवं भ्रमण इत्यादि अवसरों पर किराये पर आवश्यकतानुसार वाहन सप्लाई करना होगा।

2. निविदा धरोहर राशि :-

निविदादाता को निविदा के साथ न्यूनतम अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रु. 3000/- (रु. दस हजार मात्र) की एफ.डी. जो कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी एवं संबंधित फर्म के नामे एवं शिवपुरी में भुगतारित (निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

सफल निविदाकार की धरोहर राशि केन्द्र में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदायगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर कार्यालयीन प्रक्रियानुसार वापिस की जाएगी।

निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा मूल्य राशि रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) वापिसी योग्य नहीं है।

3. निविदा की समयावधि :-

निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। निविदा काल स्वीकृत दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिए रहेगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने कार्यालयीन क्रय-विक्रय समिति की अनुशंसा पर इस अवधि को आगामी एक वर्ष के लिए दरों में 05 प्रतिशत वृद्धि के साथ निरंतर रखा जा सकेगा एवं कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर कार्य समाप्त किया जा सकेगा। निविदा की अवधि, कुल दो वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी।

4. निविदा का प्रारूप एवं प्रस्तुति विधि :-

निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में स्याही या टाईप से भरा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक पृष्ठ एवं प्रस्तुत अभिलेख पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगानी होगी। निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwriting) मान्य नहीं किया जाएगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा।

4.1 निविदा फार्म तीन हिस्सों में प्रस्तुत किया जाना है, तीनों हिस्से अलग अलग सील बंद तीन लिफाफों के साथ एक बड़े लिफाफे में रखकर उसके ऊपर " किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023-24" लिखकर जमा किया जाना होगा।

4.2 प्रथम लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) लिखकर उसके अंदर सिर्फ कार्य की अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) की एफ.डी. रखें। एफ.डी. के पीछे फर्म का नाम, कार्य का नाम अवश्य लिखें। इस लिफाफे को "A" नाम दें।

- 4.3 द्वितीय लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं तकनीकी निविदा लिखकर उसके अंदर प्राप्त निविदा फार्म की मूल प्रति एवं आवश्यक संलग्नक अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर रखें। इस लिफाफे को "B" नाम दें।
- 4.4 तृतीय लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम एवं वित्तीय निविदा लिखकर उसके अंदर कार्य निविदा दर निर्धारित परिशिष्ट में भरकर अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर सील बंद लिफाफे में रखें। इस लिफाफे को "C" नाम दें।
- 4.5 प्रत्येक लिफाफे पर निविदादाता के हस्ताक्षर व फर्म की सील अवश्य होना चाहिए।

5. निविदा प्रपत्र का विक्रय :-

निविदा प्रपत्र, कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी के कार्यालयीन दिवस एवं समय (प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक) में लेखा शाखा से दिनांक 04/07/23 तक प्राप्त किए जा सकेंगे साथ ही इंटरनेट से भी हमारी बेवसाईट www.kvkshivpuri.org से निविदा शुल्क जमा कर, निविदा डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। किन्तु डाउनलोड निविदा जमा करते समय निविदा शुल्क जमा की मूल प्रति आवश्यक रूप से, जमा करानी होगी अन्यथा आपकी निविदा अमान्य व स्वतः निरस्त हो जाएगी।

आपके द्वारा कार्यालयीन समय में केन्द्र पर आकर निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा सकती है।

6. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :-

निर्धारित प्रपत्र मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर ऊपर "किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023-24" अंकित कर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी कार्यालय में दिनांक 06/07/23 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निर्धारित समयावधि पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। निविदाकार फर्म को, निविदा प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्नक पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा निविदा स्पष्ट होना चाहिए, कांट-छांट नहीं होना चाहिए। अपूर्ण निविदा अस्वीकृत की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले संलग्नक, स्वयं के द्वारा सत्यापित एवं सील लगाना अनिवार्य होगा।

7. लायसेंस की अनिवार्यता :-

निविदादाता फर्म के पास **किराये पर वाहन** संचालन संबंधी लायसेंस होना अनिवार्य है। निविदा फर्म के तकनीकी निविदा प्रपत्र में, चाहे गए समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ फर्म को स्वयं के हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8. निविदा खोलने की तिथि :-

दिनांक 06/07/23 को दोपहर 2:00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों, निविदादाता अथवा निविदादाता फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निविदाएँ खोली जाएगी। संपूर्ण कार्यवाही पंजी में इन्द्राज की जाएगी, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी द्वारा निविदा खोलने की तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

निविदाओं के अंदर प्राप्त होने वाले तीनों लिफाफों क्रमशः उसी दिन खोले जाएंगे। जिन निविदादाताओं की ई.एम.डी. प्राप्त होगी, उनकी ही तकनीकी निविदाएँ खोली जाएंगी। जो निविदादाता तकनीकी निविदा में योग्यता रखते होंगे उनकी ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। जिन निविदादाताओं की निविदाएँ अपूर्ण एवं अस्पष्ट होंगी, वह क्रय विक्रय समिति द्वारा अमान्य की जाएगी। निविदा में किसी भी स्तर पर कमी रह जाने पर निविदा अमान्य होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

9. निविदा का परीक्षण :-

समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा विज्ञप्त निविदा "किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023-24" त्रिस्तरीय होगी। जिसमें प्रथमतः जिन निविदादाताओं की धरोहर राशि प्राप्त होगी, उन्हीं की तकनीकी निविदाएँ खोली जाएंगी एवं जो तकनीकी निविदा में सफल हुए होंगे, उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाएँ खोली जाएगी। चाहे गए सभी अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर तुलनात्मक पत्रक तैयार किया जाएगा। जिस निविदादाता फर्म द्वारा चाहे गए प्रारूप में सामग्री की दर न्यूनतम दी जाएगी, उसे ही "किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023-24" कार्य हेतु चयनित किया जाएगा।

10. निविदा का चयन :-

जिस निविदादाता फर्म द्वारा चाहे गए प्रारूप में सामग्री की दर न्यूनतम दी जाएगी, उसे ही "किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023-24" का कार्य, प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय तुलनात्मक पत्रक में न्यूनतम तीन निविदाएँ होना आवश्यक है, उससे कम होने पर निविदा स्वमेव निरस्त हो जाएगी तथा निविदा का द्वितीय प्रकाशन किया जाएगा। यदि एक से अधिक निविदादाता की दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में निविदादाता के कार्यानुभव की अधिकता को वरीयता दी जावेगी। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी को अधिकार होगा कि एक या अधिक दरों को या न्यूनतम/अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वह उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

11. निविदा स्वीकृति आदेश एवं कार्यादेश :-

विज्ञप्त निविदा के सूक्ष्म परीक्षण एवं क्रय-विक्रय समिति की अनुशंसा के अनुक्रम में निविदा स्वीकृत आदेश जारी किया जाएगा, तत्पश्चात समय-समय पर कार्यक्रमानुसार सामग्री सप्लाई के लिए कार्यादेश जारी किए जाएंगे, जिनके अनुक्रम में फर्म को वाहन समय-समय पर प्रदाय करना होगा।

12. “किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023–24” निविदा संचालन की अनिवार्य (अनुबंध) शर्तें :-

- 12.1 सफल निविदादाता को “किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023–24” कार्य हेतु सहमति पत्र के आधार पर एक वर्ष के लिए कार्यादेश जारी किया जाएगा।
- 12.2 कार्य संतोषजनक पाए जाने पर क्रय समिति की अनुशंसा पर निविदा आगामी एक वर्ष के लिए, स्वीकृत दरों में 05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, फर्म के आवेदन पर बढ़ाई जा सकेगी।
- 12.3 सप्लाई किए जाने वाले वाहन के कार्य से पूर्व खराब होने पर अथवा कार्य पूर्ण होने से पूर्व वाहन अथवा चालक अथवा दोनों के वापस चले जाने पर केन्द्र द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा एवं फर्म पर न्यूनतम राशि रु. 100/- एवं अधिकतम राशि रु. 1000/- तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। जिसे फर्म को जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा फर्म की निविदा निरस्त करते हुए, अग्रिम धरोहर राशि राजसात करते हुए द्वितीय निविदाकार को निविदा प्रदान की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तर दायित्व प्रथम निविदादाता फर्म का होगा।
- 12.4 समय-समय पर होने वाले विभिन्न आयोजन पर आपको केन्द्र द्वारा दिए गए आदेशानुसार **किराये पर वाहन** प्रदाय करना अनिवार्य होगा। जिसका भुगतान नियमानुसार केन्द्र द्वारा फर्म को किया जाएगा।
- 12.5 निविदादाता फर्म स्वयं अथवा अन्य किसी भी कारण से निविदा कार्य करने में असफल होता है या स्वयं कार्य छोड़ता है। तो नियमानुसार जमा अग्रिम धरोहर राशि से राजसात की जावेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा एवं ऐसी स्थिति में द्वितीय निविदादाता फर्म को कार्यादेश जारी करते हुए प्रथम निविदाकार का अधिकार समाप्त किया जाएगा।
- 12.6 निविदाकार फर्म को प्रदाय किये जाने वाले वाहन के सभी आवश्यक सही कागज अनिवार्य रूप से वाहन के साथ वाहन चालक के पास दे कर ही वाहन उपलब्ध कराना होगा। किसी भी प्रकार के निरीक्षण में पाई गई कमियों/अनियमितताओं/अर्थदण्ड इत्यादि का संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
- 12.7 निविदादाता फर्म द्वारा, भेजा गया वाहन चालक कुशल होना चाहिये व उसके पास वाहन चलाने हेतु उपयुक्त लायसेंस होना आवश्यक है, ऐसा ना होने पर वाहन चालक सम्बन्धित समस्या के लिये संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
- 12.8 किसी भी व्यक्ति या फर्म के पक्ष में निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा बीच में ही बिना किसी कारण बताए निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी का होगा।
- 12.9 निविदाकार फर्म को, शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लेक लिस्टेड न होने तथा किसी भी कार्यालय अथवा न्यायालय अथवा थाने में वाहन संबंधी प्रकरण विचाराधीन न होने संबंधी एवं निविदा प्रपत्र में भरी जानकारी तथा संलग्नकों के सत्य होने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित राशि के स्टाम्प पर जमा कराना अनिवार्य होगा। (स्टाम्प का प्रारूप संलग्न है)

- 12.10 निविदाकार फर्म, निविदा संचालन हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगा। तथा निविदाकार फर्म द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति समस्त शासकीय विभागों जैसे- श्रम विभाग इत्यादि के मापदण्डों का पालन किया जाना होगा।
- 12.11 निविदाकार फर्म से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 12.12 निविदाकार फर्म के द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान, देयक सत्यापन पश्चात सात कार्य दिवस में किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से विलंब होने पर, फर्म ब्याज की हकदार नहीं होगी।
- 12.13 निविदाकार फर्म को नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जाएगा एवं आयकर अधिनियमों के अंतर्गत आयकर कटौती कर फर्म के पेनकार्ड पर जमा किया जाएगा।
- 12.14 निविदादाता को “किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023–24” का कार्य, स्वयं करना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
- 12.15 निविदादाता फर्म द्वारा दी गई जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
- 12.16 निविदादाता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जवाबदार होगा।
- 12.17 ऊपर दी गई शर्तों के अलावा फर्म द्वारा दी गई शर्त मान्य नहीं होगी। किसी भी न्यायालीन कार्यवाही के लिए कार्यक्षेत्र शिवपुरी होगा।
- 12.18 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी को ऊपर दी गई शर्तों में कमी अथवा वृद्धि अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।
- 12.19 इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार, निदेशक विस्तार सेवाएँ, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर को होगा तथा उनका निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

13. निविदा हेतु आवश्यक संलग्नकों की सूची :-

उपरोक्त निविदा प्रपत्र, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील हो निम्न संलग्नकों के साथ एक सील बंद लिफाफे में जिसके "किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023-24" की तकनीकी निविदा Envelope- "B" लिखकर, रखें :-

निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत विवरण :-

1. फर्म का नाम :-
2. फर्म के प्रोपराईटर का नाम :-
3. फर्म के प्रोपराईटर का मो. नं. :-
4. फर्म का पूर्ण पता :-
5. फर्म का दूरभाष/फैक्स व ई-मेल नं :-

क्रमांक	विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
1	किराये पर वाहन सप्लाई से सम्बन्धित दस्तावेज की छायाप्रति	
2	फर्म/प्रोपराईटर के आधार कार्ड की छायाप्रति	
3	फर्म/प्रोपराईटर के आयकर नंबर की छायाप्रति	
4	फर्म/प्रोपराईटर का जी.एस.टी. नंबर की छायाप्रति	
5	गत वित्तीय वर्ष फर्म/प्रोपराईटर का फार्म 16 की छायाप्रति	
6	निर्धारित राशि के स्टाम्प पर शपथ पत्र (अनिवार्य संलग्न प्रारूप में)	
7	शासकीय कार्यालय में किराये पर वाहन सप्लाई हेतु अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र अथवा आदेश की छायाप्रतियाँ संलग्न करें।	
8	अन्य कोई यदि हो तो	

हस्ताक्षर :

निविदादाता फर्म की सील :

घोषणा पत्र

मैं. (निविदादाता का नाम/फर्म का नाम) पता शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ण होष एवं ध्यान से निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र की शर्ते पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्ते पूर्णतः मंजूर है। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी/संलग्नक पूर्णतः सत्य है। किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाएँ जाने पर मेरी निविदा तत्काल निरस्त कर, वैधानिक कार्यवाही करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ। साथ ही शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म अथवा व्यक्तिगत मुझे, किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और न ही मेरी फर्म अथवा मेरे नाम से खाद्य विभाग अथवा न्यायालय अथवा थाने में अमानक संबंधी कोई प्रकरण पंजीबद्ध है।

गवाह हस्ताक्षर

1. पूरा नाम :-

पता :-

हस्ताक्षर

निविदादाता फर्म का नाम

2. पूरा नाम :-

पता :-

पता :-

मोबाईल नं. :-

वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

श्रीमान वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख,
कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी (म.प्र.)।

विषय :- "किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023-24" निविदा दर बावत्।

आपके द्वारा जारी निविदा क्रमांक 195 दिनांक 12/6/23 के संदर्भ में, मैं कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी के लिए "किराये पर वाहन सप्लाई निविदा वर्ष 2023-24" हेतु निम्नानुसार न्यूनतम निविदा दर प्रस्तुत करता हूँ तथा मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तें मान्य हैं।

क्रं .	वाहन का नाम	विवरण	दर (बिना जी.एस.टी.)
01	इन्नोवा / 7 सीटर वाहन	250 किमी के नीचे प्रतिदिन भाड़ा दर डीजल औसत ए.सी. 09 किमी. प्रति लीटर	
		250 किमी के नीचे प्रतिदिन भाड़ा दर डीजल औसत नॉन ए.सी. 10 किमी. प्रति लीटर	
		250 किमी के ऊपर प्रतिदिन भाड़ा दर ए.सी.	
		250 किमी के ऊपर प्रतिदिन भाड़ा दर नॉन ए.सी.	
02	स्विफ्ट डिजायर / 5 सीटर वाहन	250 किमी के नीचे प्रतिदिन भाड़ा दर डीजल औसत ए.सी. 09 किमी. प्रति लीटर	
		250 किमी के नीचे प्रतिदिन भाड़ा दर डीजल औसत नॉन ए.सी. 10 किमी. प्रति लीटर	
		250 किमी के ऊपर प्रतिदिन भाड़ा दर ए.सी.	
		250 किमी के ऊपर प्रतिदिन भाड़ा दर नॉन ए.सी.	
03	लोडिंग वाहन दो टन तक	250 किमी के नीचे प्रतिदिन भाड़ा दर डीजल औसत नॉन ए.सी. 10 किमी. प्रति लीटर	
		250 किमी के ऊपर प्रतिदिन भाड़ा दर ए.सी.	
		250 किमी के ऊपर प्रतिदिन भाड़ा दर नॉन ए.सी.	
04	बस / 52 सीटर वाहन	प्रतिदिन भाड़ा सहित ए.सी. दर प्रति कि.मी.	
		प्रतिदिन भाड़ा सहित नॉन ए.सी. दर प्रति कि.मी.	
05	रात्रि विश्राम हेतु प्रति रात्रि शुल्क की दर		
06	टोल टैक्स		
07	देयक पर लगने वाली जी. एस. टी. की दर का प्रतिशत		

हस्ताक्षर :

निविदादाता फर्म की सील :

मोबाईल नंबर :